



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 214 /अकादमी/संबद्धता/12
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02/03/12

प्राचार्य,
एम.के.पोण्डा कालेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट
लांबाखेड़ा बैरसिया रोड, भोपाल

विषय:-सीटों में वृद्धि करने विषयक । (सत्र 2011-12)

संदर्भ : आपका पत्र क्र. 189 दिनांक 11/05/2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयांगत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन विद्वत परिषद की स्थाई समिति के द्वारा प्रस्तुत बैठक 09.11.2011 के पद क्र. 11/6/42 में लिए गये निर्णय एवं कार्यपत्र की बैठक दिनांक 18.01.2012 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को बी.बी.ए., बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित छात्र संख्या (60) के स्थान पर 40 छात्र संख्या की वृद्धि कर 100 छात्र संख्या की हेतु अनुमति सत्र 2010-11 से प्रदान की जाती है ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ0क्रमांक 215---/अकादमी/सम्बद्धता/11
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02/03/12

- 1- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 2- उप-कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय)शाखा, बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल ।
- 3- कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव की ओर सूचनार्थ ।
4. डी.सी.डी.सी. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
5. परीक्षा नियंत्रक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।

उप.कुलसचिव,अकादमी
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

पं०/पुनर्/ए.ए./2008-09/01

(Received on 27/08/08)



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1283 अका./सं. 2008

भोपाल, दिनांक 11-8-08

प्रति,

प्राचार्य,

महोदय से यश महाविद्यालय
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय

विषय :- सत्र 2008-09 में अस्थाई संबंधिता नवीन महाविद्यालय/नवीन संकाय, में प्रदान करने विषयक।

महोदय,

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 124 दिनांक 31-5-08 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विद्वत् परिषद की अस्थाई समिति की बैठक दिनांक 11/08/08 में की गई अनुशंसा एवं कार्य परिषद की ओर से कुलपति को प्रदत्त शक्तियों 15(4) के तहत अस्थाई संबंधिता निम्न पाठ्यक्रम में प्रदान की जाती है।

1. BBET II
2. B.C.T II
3. B.C.T II
4. B.C.T II
- 5.

शर्तें

1. आपको आगामी सत्र में अस्थाई संबंधिता/निरन्तरता प्रदान हेतु उच्च शिक्षा विभाग के अनुमति पत्र के साथ निर्धारित आवेदन एवं शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. विश्वविद्यालय परिचियम 27 एवं 28 का अध्यादेश 5, 6 एवं 7 का पालन करना होगा जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
3. आपको कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य एवं शिक्षक की नियुक्ति 30 अक्टूबर 2008 तक आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. महाविद्यालय के आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको शारीरिक निकास का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन कर विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर आपके महाविद्यालय के प्रदत्त अस्थाई संबंधिता स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. उपर्युक्त संबंधिता/नियमितता/ नये पाठ्यक्रम/विषय/सीट वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 6113 दिनांक 31.07.08 में पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश विधिवत् संबंधिता प्राप्त होने के बाद ही दिया जा सकेगा। इसके प्रकाश में ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव अकादमी
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पु. क्र. 1284 अकादमी/2008

भोपाल, दिनांक :

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. सचिव क्षेत्रीय संचालक एन.सी.टी.ई. श्यामला हिल्स, भोपाल।
4. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा शाखा की ओर सूचनाार्थ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक/संचालक, शारीरिक शिक्षा/अधिष्ठाता छात्र कल्याण की ओर सूचनाार्थ।

सहा. कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2009/अकादमी/व्ययन समिति/09
प्रति,

भोपाल, दिनांक

23/07/09

संख्या 9 पौष 2017
विश्वविद्यालय भोपाल
पत्रिका संख्या

विषय:- सत्र 2009-10 हेतु अस्थाई संबद्धता निरंतर करने विषयक ।

महोदय,

विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 02.06.09 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.06.09 में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम की अस्थाई संबद्धता/निरंतरता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. Bcom-I-II All up-Sub with cit,
2. BBA I-II - 60 Seats,
3. BCAF-I-II - 60 Seats
- 4.
- 5.
- 6.

शर्त:-

1. आपको अस्थाई संबद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2010-11 के लिये निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।
3. आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों के कार्यवृत्त जिसमें विश्वविद्यालय के प्रधिनिधि उपस्थित हो दिनांक 20/07/09 तक अवश्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे ।
4. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत करनी होगी ।
5. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा ।
6. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर संबद्धता निरस्त की जा सकेगी

यदि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में कोई त्रुटि हो तो उसे 10 दिवस के अन्दर स्वयं उपस्थित हो कर त्रुटि सुधरवा ले । निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखे अन्यथा बाद में त्रुटि सुधारना संभव नहीं होगा ।

आदेशानुसार,

सहायक कुलसचिव अकादमी
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल, दिनांक 23/07/09

2009
पृ0क्रमांक /अकादमी/संबद्धता/09
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भनस भवन श्यामला हिल्स भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

सहायक कुलसचिव, (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

2768

कमांक / अकादमी/ सम्बद्धता/२००९,
प्रति,

भोपाल, दिनांक १.१०.०९
प्रावधिक

प्राचार्य,

मंत्रालय के पंजीयन महाविद्यालय,
हरिद्वार रोड, भोपाल.

विषय:- सत्र-२००९-१० में नवीन पाठ्यक्रम में अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।
महोदय,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 1399-दिनांक 4-6-09 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं विद्वत परिषद् की रथाई समिति की बैठक दिनांक २४.०८.०९ में की गई अनुशांसा के आधार पर, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक ०४.०९.०९ में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नांकित पाठ्यक्रम में अस्थाई सम्बद्धता सत्र-२००९-१० में निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. BBA, 1st yr. 60 (5x4)
२. BCA - 1st yr. 60 (5x4)
३. B Com 1st yr. - 60 (5x4) (विश्वविद्यालय विषय (अर्द्ध))
४. _____

शर्तें :-

१. आपको आगामी सत्र-२०१०-११ हेतु अस्थाई सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान करने से पूर्व उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के साथ निर्धारित शुल्क पर आवेदन करना होगा।
२. विश्वविद्यालय परिनियम-२७ एवं २८ के अध्यादेश ९, ६ एवं ७ का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
३. आपको कॉलेज कोड-२८ के तहत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति ३० सितम्बर तक करनी होगी।
४. महाविद्यालय के आय-व्यय पत्रक, चार्टर्ड एकाउण्टेंट से सत्यापित कर, प्रस्तुत करना होगा।
५. आपको शासीय निकाय का गठन कर, नियमित बैठकों का आयोजन कर, प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
६. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति ना होने पर, प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
७. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माज्य नहीं किया जावेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

2769

कमांक / अकादमी/ सम्बद्धता/२००९,
प्रतिलिपि:-

सहायक कुलसचिव (अकादमी)
भोपाल, दिनांक १.१०.०९

१. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा विभाग, भोपाल।
२. अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
३. उपकुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय की ओर सूचनाार्थ।
४. कुलपति/कुलसचिव की ओर सूचनाार्थ।

सहायक कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल